

11/11/24

पतावली पेश हुई। प्रकरण में अधि. वादी द्वारा उपास्थित होकर Not Press किया गया। प्रकरण में पतावली के अवलोकन से पाया कि पूर्व में वादीगण द्वारा उपास्थित होकर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाही थी तथा वाद विही किन्ने जाने का विवेकन किया था। अतः अधिवक्ता वादी द्वारा Not Press किन्ने जाने व वादीगण द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी का वाद इसी स्तर प्रोप किया जाता है। प्रकरण में प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी कोत हुए लम्बा खर्च हो जाने के बाद भी अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वारिस काफली नहीं भरि गई। अतः प्रतिवादी का प्रतिवाद क्लेम किना जाकर स्थगित किया जाता है। पतावली प्रसन्न सुनार होकर नम्बर से भ्रम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Not Pressed
Comp per
वादी-वादीगण

